

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश

--:विविध-आदेश:-

(कार्य-विभाजन में संशोधन)

क्रमांक.....135 /
/दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 16 /05/2025

1. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक-73 दिनांक-30.04.2025 के द्वारा श्रीमती रशिमी बागरी की पदस्थापना तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के पद पर किये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 व 21 (4) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-336/दो-1-1/2000 दिनांक 30 अप्रैल 2024 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा:-

सरल क्रमांक-35 के स्तम्भ क्रमांक-2 में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के नाम आगे लिखी इबारत "रिक्त न्यायालय" को विलोपित करते हुए स्तम्भ क्रमांक-3 एवं 4 निर्मित करते हुए निम्नलिखित इबारत जोड़ी जाती है:-

क.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	वादों का प्रकार
35.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर/गुड़/रायपुर कचुलियान	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण।

2. परिशिष्ट-अ की कंडिका 32 से 37 को विलोपित कर निम्नानुसार पढ़ा जावे:-

क.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखेंगे
32.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
33.	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
34.	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा
35.	नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
36.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा	1. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा

शेष आदेश यथावत रहेंगे।

(राकेश मोहन प्रधान)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांक नं० 2508/

रीवा, दिनांक 16/05/2025

दो-1-1/2000

प्रतिलिपि:-

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/सिरमौर/मऊगंज/त्योथर।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
- ✓ 4. ✓ जे०एस०ए०/डी०एस०ए०/फाईलिंग काउण्टर रीवा
की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

५

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म०प्र०)